(28)
(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 398–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 411/11–12/अपील.

मोहनलाल पिता भेरा
निवासी ग्राम कुचडोद
तहसील व जिला मन्दसौर .....आवेदक

विरूद्ध

सुगनबाई बेवा भंवरलाल
निवासी ग्राम कुचडोद
तहसील व जिला मन्दसौर .....अनावेदिका

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कुचडोद की नामांतरण पंजी कमांक 44/2007–08 में नायब तहसीलदार, धुंधडका द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–2008 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मन्दसौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 38/अपील/08–09 दर्ज कर दिनांक 9–3–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–12–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा कोई अनावेदिका के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है, अनावेदिका द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण पंजी पर नामांतरण करा लिया गया है । यह भी कहा गया कि यदि अनावेदिका के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित हुआ था, तब उसे मूल वसीयतनामा प्रस्तुत कर संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, और तहसील न्यायालय को विधिवत उद्घोषणा जारी कर वसीयतनामा को साक्ष्य से सिद्ध करते हुए हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए नामांतरण आदेश पारित करना चाहिए था । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा विहित प्रकिया का पालन नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा मात्र व्यवहार न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 12 का आवेदन पत्र निरस्त होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का विधिसंगत आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि उक्त वाद में अभी कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण कार्यवाही में कब्जा नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि स्वत्व देखा जाना चाहिए।

4/ अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 52 ए/2011 में दिनांक 5–11–2015 को डिक्री पारित की गई है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । अतः प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर